

9-4-18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। दृश्रीम कार्य हेतु दिनांक 9-5-18 को पेश है।

mti

कादीश

9-5-18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। दृश्रीम कार्यवाही सुनवाई हेतु दिनांक 01/6/2018 को पेश

सहायक कलेक्टर, पिण्ड

01-6-18

पत्रावली न्याय आप के डारशिविर/केंद्र कोर्ट में प्रस्तुत हुई। वादी अभिवक्ता व प्रतिवादी सं. 1 एक व तीन उपस्थित हैं। अभिवक्ता वादी का यह कहना है कि प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 14-3-2018 को श्रीमान न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया है कि वह पिण्डवाड़ा स्थित वादग्रस्त भूमि को नहीं बेचेगा। हमें प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध छुी दाद-चाहिए। उपस्थित प्रतिवादी सं. 1 ने पुनः दोहराया कि हमें पिण्डवाड़ा स्थित भूमि का बेचान नहीं करेगा तथा न ही रुई बूई करेगा।

अतः उभय पक्षकारणों को जरिये अस्याई निषेचाना के पावत किया जाता है कि वे प्रकरण गत पिण्डवाड़ा स्थित स्वाभेदारी आराजीयान की मौके व रेकॉर्ड की रथास्थित बनाये रखें।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

सहायक कलेक्टर, पिण्ड